पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 207/2024 दिनांक- 02.07.2024

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना – महराजगंज

साइबर फ्राड के 10,000/- रूपये वापस कराया गया

पूर्व की घटनाः-

दिनांक 20.06.2024 को आवेदक विजय नरायन यादव सा0 शिवपुर थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ के द्वारा NCRP Helpline 1930 पर काल कर शिकायत दर्ज कराया गया कि आवेदक के खाते से 10,000/- रूपये दिनांक 20.06.2024 को गलत मोबाईल नं0 पर UPI के माध्यम से चला गया था। जिसकी शिकायत संख्या 23106240066543 पंजीकृत हुआ जो पोर्टल के माध्य से ज्ञात हुआ कि उक्त धनराशि यूनियन बैंक आफ इण्डिया के खाता संख्या 437602120001169 लिंक यूपीआई नं0 9161317686 पर ट्रांसफर हुआ है। जिसके क्रम में आवेदक द्वारा दिनांक 20.06.2024 को थाना स्थानीय के साईबर हेल्प डेस्क पर अपना पैसा वापस कराने के सम्बन्ध में एक प्रार्थना पत्र दिया गया था। जिसपर प्र0नि0 श्री राजीव कुमार मिश्रा के निर्देशन में साईबर हेल्प डेस्क के कर्मचारी गण द्वारा तुरन्त कार्यवाही करते हुए सम्बन्धित बैंक से सम्पर्क कर आवेदक द्वारा भेजा गया पैसा जिस खाता मे गया था उस खाते से सम्बन्धित बैंक से विवरण प्राप्त कर आवेदक के खाते से कटा हुआ कुल 10000/- रूपये वापस करा दिया गया।

➡ दिनांक 01.07.2024 को कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए रईस अंसारी , का0मु0 रूपक कुमार झा मय साईबर हेल्पडेस्क टीम थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा आवेदक के खाते में कुल 10000/- रूपये वापस कराया गया।

पुलिस टीमः-

1. प्र0नि0 राजीव कुमार मिश्रा थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़
2. कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए रईस अंसारी थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़
3. का0मु0 रूपक कुमार झा थाना महराजगंज जनपद आमजगढ़

थाना- रानी की सराय

किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)-

दिनाँक 01.07.2024 को वादिनी मुकदमा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दिया गया कि वादिनी मुकदमा की बहन उम्र करीब 14 वर्ष जो दिनाँक 20.06.2024 को समय करीब 05.00 बजे बिना किसी को घर पर बताये कही चली जाने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 176/2024 धारा 363 भादवि बनाम नाम पता अज्ञात पंजीकृत किया गया । विवेचना के दौरान मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अपहृता को दिनांक 29.06.2024 को बरामदगी की गयी । अपहृता का बयान धारा 161 व 164 सीआऱपीसी व मेडिकल रिपोर्ट के अवलोकन से धारा 376/366 भादवि व 3/4पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी किया गया तथा अभियुक्त चमन सोनकर पुत्र विनोद सोनकर नि0 मढिया थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ का नाम प्रकाश मे आया । मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त चमन सोनकर उपरोक्त को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तारी की विवरण-

दिनांक- 02.07.2024 को व0उ0नि0 गोपाल जी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त चमन सोनकर पुत्र विनोद सोनकर नि0 मढिया थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ को सेमरहा अण्डर पास ब्रिज के पास से समय करीब 09.10 बजे पुलिस हिरासत मे लिया गया । गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0स0 176/2024 धारा 363/366/376 भादवि व 3/4पाक्सो एक्ट थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ

गिरफ्तार अभियुक्त ----

1-चमन सोनकर पुत्र विनोद सोनकर नि0 मढिया थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

(1) व0उ0नि0 गोपाल जी थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

(2) का0 कृष्णा कुमार यादव थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ

(3)का0 नन्दलाल पाल थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

थाना सरायमीर

गैर इरादतन हत्या में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार, पूर्व में 08 अभियुक्त हो चुके है गिरफ्तार

पूर्व की घटना/ -

दिनांक 29.06.24 को वादी वीरेन्द्र गौतम पुत्र साहबलाल ग्राम कटघर जलाल थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ने थाना सरायमीर पर लिखित तहरीर दिया कि दिनांक 29.06.2024 को समय रात्रि करीब 09 बजे मैं तथा मेरे परिवार के छोटेलाल पुत्र दुबरी, पारसनाथ पुत्र साहबलाल, शशिदेवल पुत्र पारस नाथ दरवाजे पर सोये थे तथा घर पर मेरी माँ कवलपत्ती पत्नी साहबलाल मेरी भतीजी विशाखा पुत्री पारस नाथ , मेरी पत्नी रीता देवी घर में सोई हुई थी कि मेरे ही गांव राधेश्याम पुत्र लौटन से घर व बरजे का पूर्व में विवाद चल रहा था,उसी रंजिश को लेकर अरबिन्द पुत्र राधेश्याम,राधेश्याम पुत्र लौटन ,अजय पुत्र राधेश्याम , विनय पुत्र राधेश्याम, अविनाश पुत्र राधेश्याम, व रोबिन पुत्र रमाशंकर , रमाशंकर पुत्र लौटन, अनिकेत पुत्र रमाशंकर, अभिषेक पुत्र रमाशंकर,आरती पुत्री राधेश्याम , रंजना पुत्री रमाशंकर ,रीता देवी पत्नी रमाशंकर ,सावित्री पत्नी राधेश्याम समस्त निवासी कटघर जलाल थाना सरायमीर,आजमगढ़ एक राय होकर अपने हाथों में लाठी,डण्डा व राड लिए हुए एकाएक मेरे दरवाजे पर चढ़कर मुझे तथा मेरे पिता व भाई को मारने लगे तो हम लोग भाई पारसनाथ ,भतीजा, शशिदेवल घर में भागे कि उपरोक्त लोग घर में घुसकर लाठी डण्डे व राड से मारने लगे, जिससे मेरी माँ कवल पटी पत्नी साहब लाल मौके पर गिरकर बेहोश हो गयी तथा इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी। मेरे भाई ,भतीजी को गम्भीर चोटे आयी है मेरे परिवार के अन्य लोग घायल हो गये तथा उपरोक्त लोग गाली गुप्ता व जान माल की धमकी देते हुए चले गये, के सम्बन्ध में थाना सरायमीर पर मु0अ0स0 372/2024 धारा 323.504.506.452.308.34 भादवि पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी ।

➡मुकदमा उपरोक्त में विवेचना के दौरान धारा 304 भादवि की बढ़ोत्तरी की गयी है।

➡दिनांक 01.07.2024 को 08 नफर अभियुक्त व अभियुक्ता को गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया जा चुका है ।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 02.07.2024 को उ0नि0 मुन्नालाल मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वाँछित अभियुक्त 1. अनिकेत पुत्र रमाशंकर सा0 कटघर जलाल थाना सरायमीर आजमगढ़, 2. अरविन्द पुत्र राधेश्याम सा0 कटघर जलाल थाना सरायमीर आजमगढ़ को कमालपुर बाजार से समय करीब 09.20 हिरासत पुलिस में लिया गया तथा चालान मा0न्यायालय किया जा रहा है ।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0स0 372/2024 धारा 323.504.506.452.308.34 भादवि व बढ़ोत्तरी धारा 304 भादवि थाना सरायमीर आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त –

1. अनिकेत पुत्र रमाशंकर सा0 कटघर जलाल थाना सरायमीर आजमगढ़।
2. अरविन्द पुत्र राधेश्याम सा0 कटघर जलाल थाना सरायमीर आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाले टीम-

1. उ0नि0 मुन्नालाल, मय हमराह थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
2. का0 विनय सरोज, थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

प्रेस-विज्ञप्ति

एसपी ट्रैफिक ने ली परेड की सलामी, शस्त्रों के खोलने-जोड़ने का कराया गया अभ्यास

आज दिनांक- 02.07.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक यातायात विवेक त्रिपाठी द्वारा पुलिस लाइन आजमगढ़ में मंगलवार की परेड की सलामी ली गयी। उक्त परेड में कुल 150 निरीक्षक, उप-निरीक्षक, मुख्य आरक्षी व आरक्षी प्रतिभाग किये है। सभी टोलियों का स्क्वाड ड्रिल कराया गया । कर्मचारियों को शस्त्रों को खोलने-जोड़ने का अभ्यास कराया गया। मु0आ0 आर्मोरर राजेश पाण्डेय की मौजूदगी में HCAP विनय सिंह द्वारा अभ्यास कराया गया। उक्त परेड में प्रतिसार निरीक्षक संतोष सिंह व अन्य अधिकारी कर्मचारी गण मौजूद रहें।